

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अराई

ख. प्र. पत्र संख्या 12/2024 उनतान उमराव सिंह/सरकार

कोर्ट कैम्प मजदारिया 29.10.2024

प्रशासन गांवों के संग अभियान-20.24

आदेश

पत्रावली राजस्वान सरकार राजस्व(ग्रुप 1) विभाग के आदेश क्रमांक प.12(2) राज 1/2020 दिनांक 24.09.2024 की पालना में निम्न लिखी से पूर्व तलवी वी जाकर आज दिनांक 29.10.2024 को कोर्ट कैम्प मजदारिया में पेश हुई वारी उप. उक्त प्र. पत्र में प्रार्थी द्वारा ग्राम साइल स्थित कृषि भूमि खाता सं. 81, 82 व 6 में उमराव पुत्र मूलसिंह के स्थान पर उमराव सिंह पुत्र देवीसिंह करताने बाबत पेश किया। प्रार्थी ने अपने प्र. पत्र के समर्थन में विभागीय परिपत्र, आधार कार्ड, इशुविंग वाइसेन्स, राशन कार्ड, कवा 10 व 12 की अंतालिखा प्रस्तुत की। सम्बन्धित पत्नारी, मू.अ.नि व तहसीलदार अराई ने उक्त शुद्धि की अनुशंसा की है। सरपंच मजदारिया व उपस्थित मजमे आम व गवाहन ने भी उमराव सिंह पुत्र देवीसिंह करने की अनुशंसा की है। अतः संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार अराई रिपोर्ट व उपस्थित मजमे आम व सरपंच मजदारिया की अनुशंसा व संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अराई को ग्राम साइल स्थित कृषि भूमि खाता सं. 79, 80 व 6 जिसके अन्तर्गत खसरा सं. 158, 232, 633, 227, 233, 481, 580, 543 तथा 246 है, में प्रार्थी का नाम उमराव सिंह पुत्र मूलसिंह के स्थान पर उमराव सिंह पुत्र देवीसिंह करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष धारा 177 बचतुर। तहसीलदार अराई उक्तानुसार राजस्व रिपोर्ट में अमल कराने के लिए प्र. पत्र फैसल शुभाट लोक नम्बर से कम ही



29.10.2024  
 उपखण्ड अधिकारी  
 अराई (मजदारी)